

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 139 / 2014

दर्ज दिनांक:—30.10.2014

1. महावीरसिंह पता— .....प्रार्थी

बनाम

2. मोहनसिंह पता— .....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

कुशलसिंह भगौर

प्रार्थी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—05.04.2018

यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188 आरटीए के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। बार-बार हिदायत देने के बाबजूद भी प्रतिवादीगण की तलवी नहीं कराई जा रही है। तलवी हेतु कई बार अन्तिम अवसर भी दिये गए हैं। प्रतीत होता है कि वादीगण अपने दावा के प्रति सजग नहीं हैं। अतः दावा वादिया ओ-9नियम5 सी.पी.सी. के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर,भरतपुर